

फर्द अहकाम

(नियम 28)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पॉडेन्ट

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला
सांतपुर तहसील आवूरोड
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आवूरोड

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 52 वर्ष 2023

दिनांक हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख ज इस हुवम की तारीख से जारी हु
12.10.2023	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पॉडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आवूरोड को दिनांक 05.09.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय नगर सुधार न्यास आवूरोड द्वारा गांव सांतपुर तह. आवूरोड में स्थित खसरा संख्या 923/3 की भूमि में कॉलोनी निर्माण करने हेतु श्री समित जैन पुत्र श्री जैन कुमार जैन व श्री वेदभूषण गर्ग पुत्र श्री यशपाल गर्ग को प्रशासनिक निर्माण स्वीकृति जारी कर साईट प्लान(नक्शा) स्वीकृत किया गया है। उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आवूरोड को दिनांक 05.09.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय नगर सुधार न्यास आवूरोड द्वारा गांव सांतपुर तह. आवूरोड में स्थित खसरा संख्या 923/3 की भूमि में कॉलोनी निर्माण करने हेतु श्री समित जैन पुत्र श्री जैन कुमार जैन व श्री वेदभूषण गर्ग पुत्र श्री यशपाल गर्ग को प्रशासनिक निर्माण स्वीकृति जारी कर साईट प्लान (नक्शा) स्वीकृत किया गया है। उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आवूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

Bulla
(डॉ. भैवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही